राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर

व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (वी.एल.टी.डी.) व आरएफआइडी सिस्टम से खनिज परिवहन किये जान वाले वाहनों की निगरानी (ट्रेकिंग) हेतु दिशा निर्देश

शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2025 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में किये गये संशोधनों के अनुसार राज्य में वी.एल.टी.डी एवं आर.एफ.आई.डी. उपकरण युक्त विभाग से पंजीकृत वाहनों से ही खनिज परिवहन किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा इलेक्ट्रोनिक सिस्टम द्वारा खनिज परिवहन की निगरानी (ट्रेकिंग) की जायेगी। उपरोक्त सिस्टम की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैः–

- **वाहन एवं वे–ब्रिज पंजीयन के संबंध मेंः–**
  1. अधिसूचना की दिनांक से 06 माह में ई–रवन्ना एवं ई–टीपी के माध्यम से खनिज परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन पर वी.एल.टी.डी. उपकरण व आरएफआईडी टेग लगाया जाना आवश्यक होगा।
  2. भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा निर्धारित एआईएस 140 मानक के मॉडल के वी.एल.टी.डी. (जी.पी.एस.) उपकरण व आईएसओ 18000 मानक स्तर का आरएफआईडी टेग लगाने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पंजीकृत की गई ऐजेन्सीज (निर्माताओं/अधिकृत डीलर) की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
  3. वी.एल.टी.डी.(जी.पी.एस.) में संभावित छेडखानी/टेम्परिंग अथवा वाहन से हटाने की जांच हेतु उपकरण का वाहन के Controlled area network (CAN-Bus) से सपोर्टेड होना आवश्यक होगा।
  4. जो वाहन पूर्व से विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत है, उनमें वी.एल.टी.डी. एवं आरएफआईडी टेग, सूचीबद्ध ऐजेन्सीज के माध्यम से वाहनों में लगाया जाकर वी.एल.टी.डी. व आरएफआईडी टेग से सम्बन्धित सूचनाएं (यथा वी.एल.टी.डी. मेक एवं मॉडल, यूआईडी नबर, आईएमईआई नंबर., आइसीसीआईडी नंबर, आरएफआईडी के एपिक नंबर) विभागीय पोर्टल पर संबंधित ऐजेन्सी के माध्यम से दर्ज करवाया जाना होगा। अधिसूचना से 06 माह की अवधि में उपरोक्त कार्यवाही नहीं किये जाने पर पूर्व पंजीयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
  5. नवीन पंजीयन हेतु पट्टेधारी/डीलर द्वारा विभागीय पोर्टल पर लॉग इन कर "एड व्हीकल" मॉड्यूल में वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर भरे जायेंगे। वाहन से संबंधित अन्य विवरण यथा वाहन स्वामी का नाम व मोबाईल नम्बर, इंजन व चेसिस नंबर, खाली वाहन का वजन इत्यादि परिवहन विभाग के पोर्टल से स्वतः प्राप्त होंगे।

     वी.एल.टी.डी. व आरएफआईडी टेग विभागीय सूचीबद्ध ऐजेन्सीज (निर्माताओं/अधिकृत डीलर) से लगाया जाकर वी.एल.टी.डी. व आरएफआईडी टेग से सम्बन्धित सूचनाएं (यथा वी.एल.टी.डी. मेक एवं मॉडल, यूआईडी नबर, आईएमईआई नंबर., आइसीसीआईडी नंबर, आरएफआईडी के एपिक नंबर) विभागीय पोर्टल पर संबंधित ऐजेन्सी के माध्यम से दर्ज करवाया जाना होगा।
  6. पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर सिस्टम जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से वाहन स्वामी को सूचना प्रेषित की जायेगी कि "वाहन नं. RJ 27 AB 1234 खान विभाग के पोर्टल पर खनिज परिवहन हेतु पंजीकृत किया गया है।"

7. समस्त वे–ब्रिज के पंजीयन हेतु निम्नानुसार मापदण्ड के उपकरण एवं स्ट्रक्चर स्थापित किया जाना आवश्यक होगा–
   i- वे–ब्रिज के प्लेटफार्म पर वाहन की सही पॉजीशन सुनिश्चित करने हेतु 6 पॉजिशन सेन्सर (इन्फ्रारेड/अल्ट्रासोनिक आधारित जिनकी एक्यूरेसी ±15 सेमी हो) मय एल.ई.डी. स्क्रीन एवं ऑटोमेटिक बूम बेरियर स्थापित किया जायेगा। प्लेटफॉर्म पर खनिज वाहन की पोजिशन सही होने पर ही वाहन का रवन्ना कन्फर्म हो सकेगा।
   ii- वाहन नम्बर व अन्य सूचना ऑटोकेप्चर करने के लिये आईएसओ 18000 अल्ट्राहाइफ्रिक्वेन्सी मानक स्तर का आर.एफ.आई.डी. रीडर स्थापित किया जायेगा।
   iii- वे–ब्रिज पर लाइव स्ट्रीमिंग एवं वाहन से भरा खनिज, वाहन नंबर इत्यादि स्पष्ट रूप से देखने हेतु आईपी आधारित, 5 मेगापिक्सल (2560X1920 Pixel) नाइट विजन हाई रिजोल्यूशन के न्यूनतम 02 कैमरे स्थापित करने होगें।
   iv- वे–ब्रिज के प्लेटफॉर्म के दोनों ओर 15 सेमी उंची गाइड रेल लगाया जाना होगा, जिससे कि वाहन के टायर प्लेटफोर्म से नीचे नहीं उतारे जा सकें।
8. वे–ब्रिज का केलिब्रेशन तौल व बाटमाप विभाग से आवश्यक होगा तथा नियमानुसार नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।
9. वे–ब्रिज/खनिज वाहनों को "मिनरल ट्रेकिंग सिस्टम" सॉफ्टवेयर से जोड़ा जावेगा। समस्त निर्धारित मानक उपकरण/स्ट्रक्चर होने पर ही वे–ब्रिज/खनिज वाहनों को विभागीय पोर्टल से इन्टीग्रेशन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।
10. नवीन वे–ब्रिज का विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान में पंजीकृत वे–ब्रिज को भी उपरोक्तानुसार अधिसूचना की दिनांक से 06 माह की अवधि में मॉडिफिकेशन किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा उनका पंजीयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

- **अन्य**

11. खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा उनके कार्यालय क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त खनन पट्टों, वे ब्रिज, डीलर/स्टॉक लोकेशन को कोर्डिनेट के आधार पर Geo-Fence कराया जावेगा। संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता जिन खनन पट्टों के ऑनलाइन सिस्टम में कॉर्डिनेट उपलब्ध नहीं है, उन खनन पट्टों के अधिकतम 3 माह की अवधि में कॉर्डिनेट लिये जाकर ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किये जावेंगे।
    विभाग से इम्पेनल्ड वे–ब्रिज, डीलर लोकेशन के कॉर्डिनेट भी 3 माह की अवधि में सत्यापित किये जायेगें।
12. जिन खनन पट्टा क्षेत्रों एवं स्टॉक लोकेशन पर इन्टरनेट की उपलब्धता नहीं है उनके जियोफेन्स क्षेत्र से मिलान के बिना ई–रवन्ना/टीपी जारी करने का निर्णय निदेशालय द्वारा खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता की रिपोर्ट पर लिया जायेगा।
13. खनिज परिवहन हेतु वाहन का खनन पट्टा/डीलर स्टॉक के Geo-fence क्षेत्र में प्रवेश करने पर ही अनकन्फर्म रवन्ना/टीपी जारी हो सकेगा।
14. खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा 01 माह में अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों के कोर्डीनेट लिये जावेगें, जिससे कि ऐसे क्षेत्रों की Geo-fencing की जा सके।
15. इम्पेनल वे–ब्रिज के Geo-Fence क्षेत्र में वाहन की पॉजिशन होने पर ही रवन्ना/टीपी कंफर्म हो सकेगा।
16. मिनरल ट्रेकिंग सिस्टम मॉड्यूल से वाहन में खनिज भरने से लेकर उसके गंतव्य तक पहुंचने तक पूरी अवधि व मार्ग की ऑनलाईन ट्रेकिंग/निगरानी की जाएगी ।
17. अनकन्फर्म ई–रवन्ना/टीपी जारी करते समय ही गंतव्य स्थल के रूट का चयन लीज धारक/डीलर द्वारा किया जाएगा। पट्टेधारी/डीलर को वे ब्रिज से गन्तव्य स्थल के

लिए तीन संभावित रूट दूरी के साथ प्रदर्शित होंगें, जिसमें से एक रूट का चयन किया जा सकेगा।

18. वाहन के चयनित गंन्तव्य पर पहुंचने के बाद ही उस वाहन का अगला रवन्ना/टीपी जारी हो सकेगी। मार्ग में वाहन के ब्रेक–डाउन होने कि स्थिति में मोबाईल एप के जरिये ई–रवन्ना/टीपी में अंकित पट्टाधारी/डीलर/वाहन चालक के मोबाईल से कोड आधारित सूचना मिनरल ट्रेकिंग सिस्टम पर प्रेषित की जा सकेगी।
19. लीज धारक से खनिज डीलर को अथवा डीलर से डीलर को खनिज भेजे जाने पर प्राप्त कर्ता डीलर के जियो फेन्स क्षैत्र में वाहन के प्रवेश करने पर संबंधित डीलर के ऑनलाईन पोर्टल पर खनिज प्राप्त करने का ऑप्शन दिखाई देगा। डीलर द्वारा सहमति दिए जाने पर ही खनिज की मात्रा उसके खाते में जुडेगा तथा रवन्ना/टीपी जारी कर्ता के खाते से कम होगी।
20. जिन वाहनों से खनिज का निर्गमन उपभोक्ता/अन्तिम युजर को किया जायेगा, उसमें गन्तव्य स्थान के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रत्येक गांव/शहर/एरिया के कॉर्डीनेट्स के मास्टर डाटा राजधरा अथवा गुगल से प्राप्त किया जाएगा। वाहन के गन्तव्य स्थान के क्षेत्र में पहुंचने पर रवन्ना/टीपी की अवधि समाप्त हो जायेगी।
21. अवैध खनन/निर्गमन की कार्यवाही में जब्त वाहनों में नियमानुसार पेनाल्टी वसूली के साथ वी.एल.टी.डी./आरएफआईडी टेग लगवाये जाकर विभाग से पंजीयन पश्चात ही छोड़े जायेंगे।
22. खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा अवैध खनन/निर्गमन के प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक होने पर खनन क्षेत्र के प्रमुख निर्गमन मार्गों पर अतिरिक्त आरएफआईडी रीडर लगाये जायेंगे।
23. वी.एल.टी.डी. सिस्टम में किसी प्रकार की छेडखानी/टेम्परिंग किए जाने पर सिस्टम जनरेटेड अलर्ट संबंधित खनि अभियंता/स.ख.अ.(सतर्कता एवं खण्ड) एवं निदेशालय/वृत स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को प्रेषित किया जाएगा।
24. मोबाईल एप में मोबाईल लोकेशन से 10 किमी की परिधि में गुजर रहे वाहनों को देखा जा सकेगा । मोबाईल एप में वैध रवन्ना के साथ खनिज परिवहन कर रहे वाहनों को हरे रंग में , बिना रवन्ना के मूव हो रहे वाहनों को लाल रंग में तथा एक स्थान पर रूके हुए वाहनों को नीले रंग में दिखाया जाएगा। एप के आधार पर विश्लेषण कर अवैध निर्गमन के वाहनों पर कार्यवाही की जानी होगी।
25. संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता (खण्ड एवं सतर्कता) तथा खनि कार्यदेशक/सर्वेयर को निम्न सिस्टम जनरेट अलर्ट प्राप्त होगे जिस पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत करेंगे:–
    i- अवैध खनन के जीयोफेन्स संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनो के प्रवेश करने पर
    ii- वी.एल.टी.डी. को वाहन से हटाने/छेड़खानी/टेम्परिंग किये जाने पर
    iii- खनन पट्टा/स्टॉक से असामान्य (Abnormal) संख्या में ई–रवन्ना/ई–टीपी जारी होने पर
    iv- एक ही वाहन की असामान्य (Abnormal) संख्या में ई–रवन्ना/ई–टीपी जारी होने पर
    v- वाहन के रूट डेविएशन करने एवं गंतव्य स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर जाने पर
26. विभागीय ऑनलाइन सिस्टम से प्राप्त समस्त सूचनाओं की रिपोर्ट का विश्लेषण वृत्त स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अधीक्षण खनि अभियन्ता(सतर्कता) द्वारा किया जायेगा।